कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0/युगल पीठ/ — /2022.लखनऊ::दिनांक:जून, 29 ,2022

–:: आदेश ::–

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–गोरखपुर ने अपने पत्र संख्या–195/22 दिनांक 21.06.2022 द्वारा सूचित किया है कि उनकी पीठ में दो वाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित किए गए हैं, जिसे तीन माह के अन्दर निस्तारित किया जाना है तथा उक्त अवधि माह जुलाई में पूरी हो रही है। दोनों मामले युगल पीठ से संबंधित हैं तथा माह जुलाई–2022 में गोरखपुर जनपद में कोई युगल पीठ गठित नहीं की गई है।

अतः सदस्य पीठ–गोरखपुर द्वारा अपने पत्र सं0–195/22 दिनांक 21.06.2022 में उल्लिखित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गोरखपुर में सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–गोरखपुर एवं सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–फैजाबाद की युगल पीठ दिनांक 11.07.2022 से 12.07.2022 तक गठित की जाती है तथा युगल पीठ के सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित वादों का निस्तारण अवश्य समयान्तर्गत सुनिश्चित करें।

ह0/29.06.2022
(अरविन्द मलिक)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन::वा0क0अधि0/पूर्ण पीठ/ 903 /2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–फैजाबाद एवं पीठ–गोरखपुर।
2. मुंसरिम/ वैयक्तिक सहायक/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण /कम्प्यूटर, मुख्यालय।
3. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/ सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

(तरुण कुमार)
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।